66 गिरफ्तारियों में 45 गैर-श्रमिक

आगजनी-भड़काने में बाहरी तत्वों की भूमिका

साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है

लखनऊ/नोएडा, 16 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालिया श्रमिक आंदोलन के दौरान फैली हिंसा और अराजकता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं.

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह महज श्रमिक असंतोष का मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें बाहरी तत्वों की सक्रिय भूमिका रही. सूत्रों के अनुसार, अब तक हुई 66 गिरफ्तारियों में से 45 लोग ऐसे पाए गए हैं, जो वास्तविक श्रमिक नहीं हैं.आगजनी की घटनाओं में चिन्हित 17 लोगों में से 11 को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 8 गैर-श्रमिक हैं.वहीं, भड़काने के आरोप में चिन्हित 32 में से 19 को हिरासत में लिया गया है.इसके अतिरिक्त 34 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है, जो श्रमिक न होते हुए भी प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे.जांच एजेंसियों के मुताबिक, साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके कुछ संगठित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.

> मामले में कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स और बाहरी राज्यों से आए लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.सूत्रों का दावा है कि नोएडा के औद्योगिक ढांचे को प्रभावित करने के लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाई गई थी.हिंसा के दौरान आगजनी, पथराव और उकसावे की घटनाओं में शामिल कई लोग स्थानीय श्रमिक नहीं थे, बल्कि बाहर से आए तत्व थे, जिनका उद्देश्य औद्योगिक माहौल को अस्थिर करना था.स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाए.

महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव 12 मई को

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव 12 मई को कराये जाने की गुरुवार को घोषणा की।इन सीटों के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है।आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना 23 अप्रैल को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र 30 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 मई को की जाएगी और नाम 4 मई तक वापस लिए जा सकेंगे।आवश्यकता पड़ने पर मतदान 12 मई को सुबह 9-00 बजे से शाम 4-00 तक कराया जाएगा। मतों की गिनती मतदान के बाद उसी दिन कराई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया 13 मई से पहले संपन्न कर ली जाएगी.

मीट एंड अवॉर्ड समारोह के आयोजकों से धामी ने की भेंट

आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई

देहरादून, 16 अप्रैल. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को उनके आवास में इंडिया डिजिटल इंपॉवरमेंट मीट एंड अवॉर्ड समारोह के आयोजकों ने शिष्टाचार भेंट की और आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.

धामी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन वर्तमान समय की आवश्यकता हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े विविध विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा.उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कांफ्रेंस से प्राप्त निष्कर्ष और सुझाव भविष्य में सकारात्मक परिणाम देने के साथ-साथ राज्य और देश के डिजिटल विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है.

> राज्य में प्रतिवर्ष छह करोड़ से अधिक श्रद्धालु एवं पर्यटक विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के कारण अनेक आकर्षक डेस्टिनेशन उपलब्ध हैं.राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण है, जिससे फिल्म उद्योग के क्षेत्र में व्यापक बदलाव संभावनाएं मौजूद हैं.इसके अतिरिक्त औद्योगिक निवेश के लिए भी राज्य में बेहतर अवसर उपलब्ध हैं, जिन्हें और विकसित करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं. राज्य के सुरम्य स्थल और आधुनिक सुविधाएं इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपयुक्त बनाती हैं.सरकार इस दिशा में आवश्यक आधारभूत संरचना और सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है.

साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़

▶ बैंक कर्मचारी सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली 16 अप्रैल. दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत एक बड़े साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक बैंक कर्मचारी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

यह रैकेट म्यूल बैंक खातों के जरिए संचालित होता था.म्यूल खाते, ऐसे खाते होते हैं जिन्हें अपराधी फर्जी ढंग से खुलवाते हैं और ठगी की रकम उसमें रखते हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया, जिसमें एक पीड़ित के खाते से 10,000 रुपये निकाले गए थे.जांच के दौरान मयूर विहार स्थित एक निजी बैंक शाखा में एक संदिग्ध म्यूल खाते की पहचान हुई.यह खाता साइबर धोखाधड़ी की कई अन्य शिकायतों से भी जुड़ा पाया गया.पुलिस टीम ने केवाईसी दस्तावेजों और लेनदेन के पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद सबसे पहले खाताधारक शौकीन को पकड़ा.पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने अपने भतीजे शाहरुख उर्फ जोजो के कहने पर यह खाता खोला था.इसके बाद शाहरूख को गिरफ्तार किया गया, जिसने बैंक कर्मचारी की संलिप्तता का खुलासा किया.

लीशर वैली में सैंपल फ्लैट का अनावरण

एनबीसीसी ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया कार्यक्रम का आयोजन

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. एनबीसीसी ने लीशर वैली, ग्रेटर नोएडा में भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाया.

जयंती के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के निर्माता और समानता, न्याय तथा सशक्तिकरण के समर्थक को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिनके आदर्श आज भी राष्ट्र की प्रगति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं. राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक न्याय में उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हुए बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस कार्यक्रम में आर. वेंकटरमणि, भारत के महान्यायवादी एवं लर्नेड कोर्ट रिसीवर (आम्रपाली परियोजनाएं), डॉ. केपी महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी तथा डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) की गरिमामयी उपस्थिति रही. समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य गण्यमानजन भी उपस्थित रहे.

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, एनबीसीसी ने लीशर वैली एफएआर परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा में सैंपल फ्लैट का उद्घाटन भी किया, जो चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति को प्रदर्शित करता है. सराहना और समावेशिता की भावना को दर्शाते हुए, इस कार्यक्रम के दौरान श्रमजीवियों और उनके बच्चों को सम्मानित किया गया.

अनिल अंबानी को सुको से राहत नहीं

नई दिल्ली, 16 अप्रैल.उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बैंकों को उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी.

यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले से संबंधित है जिसमें दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने की अनुमति दी गई थी.

अदालत ने दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने टिप्पणी की कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश उस मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जिसका फैसला होना बाकी है और उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया.

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM

CIN : U51102MP1977SGC001392

21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India)

Tel. : (91)755-2571830, 2575618, 3523555, 3523505

E-mail : helpdesk@mpidc.co.in, Web. : www.invest.mp.gov.in

MPIDC/CE/Tech-RFP/2026/260 Date : 16.04.2026

NOTICE INVITING TENDER

Madhya Pradesh Industrial development Corporation Ltd. (MPIDC Ltd.) invites online percentage rate bids for the following work from registered contractors and firms for the following work:

NIT No	Name of Work	District	Probable Amount of Contract (in Rs. Cr.)
260	Development of Industrial Area Satgarhi, district Bhopal	Bhopal	69.70

The Tender documents can be downloaded from the e-procurement Portal- **https://mptenders.gov.in**- MPIDC HO shortly.

M.P. Madhyam/125365/2026 **CHIEF ENGINEER**

हनी-ट्रैप के जरिए 500 से अधिक महिलाओं से दो करोड़ की ठगी

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक कुख्यात साइबर जालसाज और जबरन वसूली करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर डेटिंग और शादियां तय करवाने वाली वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 से अधिक महिलाओं को ठगने और ब्लैकमेल करने का आरोप है.पुलिस के अनुसार, आरोपी आनंद कुमार (35) कई फर्जी पहचानों का इस्तेमाल कर महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाता था.उसने अब तक लगभग दो करोड़ रुपये की वसूली की है और कई मामलों में निजी सामग्री को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे ऐंठे हैं.दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने वैभव अरोड़ा नाम के व्यक्ति द्वारा करीब सात लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई.आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला का भरोसा जीता और फिर मेडिकल इमरजेंसी एवं वित्तीय संकट का बहाना बनाकर पैसे लिए.जब महिला ने पैसे वापस मांगे, तो उसने संपर्क तोड़ दिया और खुद की मौत की झूठी खबर फैला दी ताकि महिला उसका पीछा छोड़ दे. पुलिस टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट्स, आईपी लॉग्स और वित्तीय लेनदेन के तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपी का पीछा किया और उसे पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टर, बिजनेसमैन, वकील और फिल्म प्रोड्यूसर बनकर फर्जी प्रोफाइल बनाता था.वह एक साथ कई राज्यों की महिलाओं से संपर्क में रहता था और पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार अपने मोबाइल और सिम कार्ड बदलता रहता था. पुलिस ने आरोपी के पास से चार स्मार्टफोन, आठ सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड और ठगी के पैसों से खरीदी गई सोने की ज्वेलरी बरामद की है. आरोपी पहले भी साइबर अपराधों में शामिल रहा है और अब पुलिस उसके पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की पहचान करने में जुटी है.

एलपीजी की जमाखोरी के खिलाफ 2500 छापे

नई दिल्ली ,16 अप्रैल. मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बीच रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एलपीजी की जमाखोरी और काला बाज़ारी के खिलाफ तेजी तथा मजबूती के साथ अभियान चलाया जा रहा है और बुधवार को देश भर में 2500 से अधिक छापे मारे गये. पश्चिम एशिया संकट के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि खान मंत्रालय कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं से निपटने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को देशभर में 2,500 से अधिक छापे मारे गए, जबकि तेल विपणन कंपनियों ने 238 एलपीजी वितरकों पर दंड लगाया और अनियमितताओं के कारण 63 को निलंबित किया. खान मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय ने हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत की है और अप्रैल के प्रारंभ में एल्युमिनियम उत्पादकों, तांबा उद्योग प्रतिनिधियों और प्रमुख उद्योग संगठनों जैसे एफआईएमआई, फिक्की, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई और एसोचैम के साथ तीन महत्वपूर्ण बैठकें कीं.

जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव

ई-निविदा क्र. ४/२०२६-२७ (फेरनिविदा)

जळगाव शहर व परिसरात ई वसेसच्या दैनंदिन दळणवळणासाठी वाहक पुरविणेकामी पुरवठादार यांची नेमणूक करणेबाबत, जळगाव शहर महानगरपालिका जळगाव यांच्याकडून निविदा मागविण्यात येत असून या कामासंबंधीची सविस्तर तपशील https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

दिनांक १५/०४/२०२६

सही/-

आयुक्त, करिता

जळगाव शहर महानगरपालिका,

जळगाव

हरिवंश को उप सभापति चुना जाना तय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हरिवंश का उच्च सदन के उप सभापति के पद पर निर्विरोध चुना जाना तय है क्योंकि इस चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और विपक्ष की ओर से किसी ने नामांकन नहीं किया है.

हरिवंश ने उच्च सदन के उप सभापति के लिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन किया है और उनके नामांकन के समर्थन में पांच प्रस्ताव दिये गये हैं। चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि गुरुवार को दोपहर बारह बजे तक थी।इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार निर्धारित समय तक विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है इसलिए श्री हरिवंश का उपसभापति चुना जाना तय है। इस तरह हरिवंश लगातार दूसरी बार उप सभापति चुने जायेंगे.

उनका दूसरा कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया था।सूत्रों ने कहा है कि श्री हरिवंश के समर्थन में प्रस्ताव सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने दिये हैं। श्री नड्डा के प्रस्ताव का भाजपा सदस्य एस. फांगनोन कोन्याक ने समर्थन किया है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावकों में नितिन नवीन,निर्मला सीतारमण, समर्थनकर्ता सुरेंद्र सिंह नागर, संजय कुमार झा, समर्थनकर्ता उपेंद्र कुशवाहा, और जयंत चौधरी, समर्थनकर्ता मिलिंद मुरली देवड़ा शामिल हैं.

इन सभी प्रस्तावों में कहा गया है श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए।

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री लक्ष्मण मेहरा श्रीमती रंजीता बाई मेहरा कृषि (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10690827)	संपत्ति संख्या 42/2, 42/2, वार्ड संख्या 11, भानपुरा, भुडसा, हनुमान मंदिर के पास कटनी, मध्य प्रदेश, भारत, 483773, क्षेत्रफल वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र: 3003.00, 810.00	रू. 311181/- तीन लाख ग्यारह हजार एक सौ ईक्यासी मात्र	09-01-2026	13-04-2026

अधिक जानकारी के लिए, शाखा कार्यालयः 225, नेपियर टाउन, दूसरी मंजिल, चंद्रिका टावर्स के सामने, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं.98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः जबलपुर
दिनांकः 17.04.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

आज का इतिहास

1799 - श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू.4 मई को टीपू सुल्तान की मौत के साथ इसका अंत हुआ.
1941 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया.
1946 - सीरिया ने फ्रांस से आजादी मिलने की घोषणा की.
1947 - श्रीलंका के महानतम खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का जन्म.
1971 - मिस्र, लीबिया और सीरिया ने मिल कर यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया.
1975 - भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन का निधन.
1977 - स्वतंत्र पार्टी का जनता पार्टी में विलय.
1982 - कनाडा ने संविधान अपनाया.
1982 - अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया.
1983 - एसएलवी-3 राकेट ने दूसरे रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकट कक्षा में स्थापित किया.
1986 - नीदरलैंड और सिसली के बीच युद्ध की स्थिति को खत्म करने की घोषणा करते हुए शांति बहाल.
1993 - अंतरिक्ष यान एसटीएस-56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा.
2003 - लगभग 55 वर्षों के बाद भारत-ब्रिटेन संसदीय मंच का गठन हुआ.
2007 - 2014 के एशियाई खेलों के लिए दक्षिण कोरिया को मेजबानी मिली.
2008 - ब्राजील और भारत के बीच चार महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किये गए.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	22873578	संपत्ति के बदले ऋण	26.02.2026	16,00,013.43/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. अखिलेश कुमार राय 2. निरुपमा राय

संपत्ति का पताः मद संख्या 1ः खसरा संख्या 270/16 के अंतर्गत स्थित 613.5 वर्ग फुट का वह पूरा भूखंड, जो मौजाः गदरवारा, सुभाष वार्ड, गदरवारा, पीएच नं. 99/18/1, बी. नंबर 119, आर.एन.एम.-गदरवारा, तहसीलः गदरवाड़ा, जिलाः नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश-487551 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः सड़क, पश्चिमः क्रापरम और अन्य की भूमि, उत्तरः कंचेदी साहू का घर, दक्षिणः प्रेम नारायण बरसैया और क्रेता का घर। मद संख्या 2ः मांग संख्या 70 के अंतर्गत आने वाली 170 वर्ग फुट की वह संपत्ति, जो मौजाः गदरवारा, सुभाष वार्ड, गदरवारा, पीएच नं. 99/18/1, बी. नंबर 119, आर.एन.एम.-गदरवारा, तहसीलः गदरवाड़ा, जिलाः नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश- 487551 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः सड़क, पश्चिमः कृपाराम कुर्मी और अन्य का घर, उत्तरः प्रेम सोनी का घर, दक्षिणः रामनारायण का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांकः 17.04.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

नितिन नवीन समेत 16 सदस्यों ने राज्यसभा में ली शपथ

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. राज्यसभा में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन समेत 16 नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली. संसद के मौजूदा बजट सत्र में तीन दिन की विशेष बैठक के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी गयी।शपथ लेने वालों में असम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सदस्य तेराश गोवाला, जोगेन मोहन और प्रमोद बोरा शामिल हैं। बिहार से भाजपा के नितिन नवीन और शिवेश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राम नाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने सदस्यता की शपथ ली.

श्री प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी नवभारत चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारा

छात्र छात्राएँ एवं सभी आयु वर्ग के लिए

फ्री कम्प्यूटर प्रशिक्षण

आवेदन करें

मो. 7772991010 इस WhatsApp No.

या नवभारत प्रेस में जमा करें समय 10 से 5 के बीच में

पता- 3 इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग जोन 1 एम.पी. नगर भोपाल